

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 11.07.2024

किन्नर बनकर लूट-पाट करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज के नेतृत्व में उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा मय पुलिस टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2024 धारा 318(2), 309(4) BNS से संबंधित वांछित अभियुक्त दिलाशाद उर्फ मुनमुन पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम देवली आयमा (प्राइमरी स्कूल के पास) पोस्ट मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 07.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि कुछ महिलाएं अपने को किन्नर बताते हुए घर में घुसकर वादी के तीन बहनो से मंगलसूत्र छीनकर भाग गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दिनांक 07.07.2024 को 05 अभियुक्तागण को गिरफ्तार किया गया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलाशाद उर्फ मुनमुन पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम देवली आयमा (प्राइमरी स्कूल के पास) पोस्ट मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 442/2024 धारा 318(2), 309(4) BNS थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम -

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. कां0 सोनू यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर